

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या:- 6278860 / पटना, दिनांक :- 25/09/2024

ग्राOविO- R-503/03/2024-SECTION 14-RDD-RDD

श्री अमरेन्द्र पंडित, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-145372), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंहवाड़ा (दरभंगा) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, पिपरा (सुपौल) के विरुद्ध पंचायत उप निर्वाचन, 2023 के अवसर पर मतदाता सूची निर्माण संबंधी कार्यों की उपेक्षा, कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही तथा राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश का अनुपालन नहीं करने के आरोप पर जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक-63 दिनांक-31.01.2024 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ।

जिला पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर विभागीय पत्रांक-I/127595/2024 दिनांक-26.04.2024 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंहवाड़ा के पत्रांक-683 दिनांक-20.06.2024 के माध्यम से श्री पंडित का स्पष्टीकरण विभाग में प्राप्त हुआ।

जिला पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र एवं श्री पंडित द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-3338128 दिनांक-11.11.2024 द्वारा जिला पदाधिकारी, दरभंगा से मंतव्य की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक-1641 दिनांक-09.06.2026 द्वारा श्री अमरेन्द्र पंडित के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

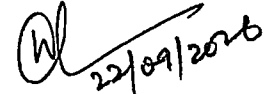
श्री अमरेन्द्र पंडित के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, दरभंगा से प्राप्त आरोप पत्र एवं आरोप पत्र के आलोक में श्री पंडित द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण तथा जिला पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि दिसम्बर, 2023 में सम्पन्न पंचायत उप निर्वाचन में पूर्व से विखंडित मतदाता सूची को श्री पंडित के द्वारा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड किया गया जिसमें मतदाता सूची में त्रुटि पाई गई। जांचोपरांत पाया गया कि सभी मतदाता वार्ड संख्या-03 के ही हैं, परंतु मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशन प्रपत्र-क में वार्ड संख्या-03 के स्थान पर वार्ड संख्या-04 अंकित हो गया। मई, 2023 में सम्पन्न कराये गये पंचायत उप निर्वाचन, 2023 हेतु मतदाता सूची का विखंडीकरण कार्य के समय श्री पंडित, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंहवाड़ा के पद पर पदस्थापित नहीं थे। मतदाता सूची के विखंडीकरण का कार्य श्री पंडित द्वारा नहीं किया गया था।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री अमरेन्द्र पंडित, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-145372), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंहवाड़ा (दरभंगा) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, पिपरा (सुपौल) के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2010 के नियम-3 के तहत "चेतावनी" का दंड अधिरोपित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



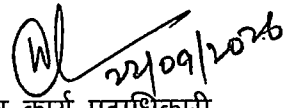
(नलिन प्रताप राणा)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:- 6278860 / पटना, दिनांक :- 23/09/2026

संचिका संO- R-503/03/2024-SECTION 14-RDD-RDD

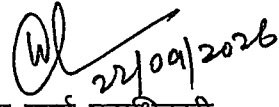
प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में, सीडी सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावः निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:- 6278860 / पटना, दिनांक :- 23/09/2026

संचिका संO- R-503/03/2024-SECTION 14-RDD-RDD

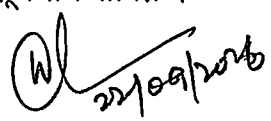
प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, दरभंगा एवं सुपौल/उप विकास आयुक्त, दरभंगा एवं सुपौल/कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा एवं सुपौल/प्रभारी पदाधिकारी प्रशाखा-03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/श्री अमरेन्द्र पंडित, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-145372), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी. सिंहवाड़ा (दरभंगा) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, पिपरा (सुपौल)/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्श हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:- 6278860 / पटना, दिनांक :- 23/09/2026

संचिका संO- R-503/03/2024-SECTION 14-RDD-RDD

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी